

राजस्थान – सरकार


शिक्षा – विभाग

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:एफ1(175)स्था / निकाशि / 2011 / ५२२ दिनांक: १६ सितम्बर, 2011

कार्यालय आदेश

निर्देशित किया जाता है कि इस निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ1(175)स्था / निकाशि / 2011 / 370 दिनांक 02.09.2011 के द्वारा जिन अनुदानित महाविद्यालयों के व्याख्याताओं को अभिमुखीकरण कार्यक्रम हेतु आपके महाविद्यालयों में उपरिधित देने हेतु निर्देशित किया गया था, से अभिमुखीकरण कार्यक्रम के अतिरिक्त अध्यापन कार्य भी करवाया जावे।


(सुबीर कुमार)

निदेशक

क्रमांक:एफ1(175)स्था / निकाशि / 2011 / ५२२ दिनांक: १६ सितम्बर, 2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक (स्थापना), निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक (अनुदान), निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. लेखाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. सम्बन्धित सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कालेल शिक्षा, राजस्थान।
13. सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
14. सम्बन्धित व्याख्याता।
15. रक्षित पत्रावली।


(प्यारे लाल)
संयुक्त निदेशक